HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2709/2026

Shrawan Kumar S/o Birbalram, Aged About 32 Years, R/o Punasa Police Station Bhinmal District Jalore Raj. (Presently Lodged In Sub Jail, Sanchore)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. D.D. Godara
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Nikhil Bhandari

---

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

25/02/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त **श्रवण कुमार पुत्र बीरबलराम** की ओर से उसके दादा का स्वर्गवास हो जाने के कारण पर यह **अंतरिम जमानत प्रार्थना–पत्र** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के तहत **पुलिस थाना–सांचोर, जिला–सांचौर** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–374/2024,** अपराध अन्तर्गत धारा 61(2)ए, 103(1), 140(2), 308(4), 309(6), 238(बी) व 189(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के दादाजी का स्वर्गवास दिनांक 20.02.2026 को हो गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को अपने दादाजी के अंतिम क्रियाकर्म आदि कार्य करने की आवश्यकता है। प्रार्थी/अभियुक्त के दादा के मृत्यु हो जाने का तथ्य विद्वान एडीजे सांचौर, जिला जालौर द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने के आदेश दिनांक 23.02.2026 में अंकित है, किंतु विद्वान एडीजे ने प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत प्रार्थना–पत्र इस आधार पर खारिज कर दी कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ गंभीर अपराध के आरोप हैं। अतः

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने दादाजी के अंतिम क्रियाकर्म आदि करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादी श्री निखिल भंडारी द्वारा व्यक्त किया कि प्रार्थी/अभियुक्त हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोपी है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के दादाजी की मृत्यु दिनांक 20.02.2026 को हो जाने व उसके अंतिम संस्कार क्रियाकर्म आदि में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई है तथा एक माह की अंतरिम जमानत मांगी गई है। अतः इन परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने दादाजी के अंतिम क्रियाकर्म आदि करने के लिए प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी–अभियुक्त को दिनांक 25.02.2026 से 05.03.2026 तक कुल 9 दिवस की अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया जाता है।

6. निष्कर्षतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तृतीय अंतरिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि **प्रार्थी–अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र बीरबलराम, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–374/2024, पुलिस थाना–सांचौर, जिला–जालौर** के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, **1,00,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र** व **50,000–50,000/– रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां** प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तो हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त को दिनांक **25.02.2026** से दिनांक **05.03.2026** तक कुल **9** दिवस की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने पर प्रार्थी–अभियुक्त स्वयं को दिनांक **06.03.2026** को समय प्रातः 11.00 बजे संबंधित जिला कारागृह में समर्पित कर देवे। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्धारित तिथि पर समर्पित नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय

प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा तथा अंतरिम जमानत का उल्लंघन होने पर कारागृह के सक्षम अधिकारी विचारण न्यायालय/इस न्यायालय को सूचित करेगा।

7. तद्नुसार यह अंतरिम जमानत प्रार्थना–पत्र निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

45-Nitin Jagtiani/-